UPET040147752019

न्यायालयः अपर सिविल जज (जू०डि०)/एफ.टी.सी. (क्राइम अगेन्स्ट वुमन), एटा।
उपस्थित– श्रीमती जागृति केसरवानी 'उ.प्र.न्यायिक सेवा'
जे.ओ.कोड संख्या–यू.पी.4667
परिवाद संख्या– 5813/2019
राज्य ----बनाम----- संदीप जैन

धारा–498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं०
व 3/4 डी०पी०एक्ट
थाना–महिला थाना, जिला एटा।
अपराध सं०–19/2018

–**निर्णय**–

1. अभियुक्त संदीप जैन के विरुद्ध मु०अ०सं०–**19/2018**, अंतर्गत धारा–**498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०एक्ट** के प्रकरण में पुलिस थाना महिला थाना द्वारा विचारण हेतु **आरोप पत्र** इस न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

2. परिवादिया द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन है कि "प्रार्थिया का विवाह विपक्षी सन्दीप जैन पुत्र जय किशोर जैन निवासी नेपई थाना नारखी जिला फिरोजाबाद के साथ प्रार्थिया के पिता ने अपने सामर्थ के अनुसार दान दहेज मे लगभग 10 लाख रुपया खर्च कर दिनांक 24.06.2012 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न की थी। किन्तु प्रार्थिया के ससुरालीजन पति सन्दीप, देवर सन्तोष, राहुल, वीनेश, प्रारम्भ से ही प्रार्थिया के पिता द्वारा दिये गये दान दहेज से सन्तुष्ट नही थे। और अतिरिक्त दहेज मे फिरोजाबाद मे मकान हेतु 5 लाख रुपया की मांग करते रहे और अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण प्रार्थिया के विभिन्न तरह से प्रताड़ित करते थे। और दबाव बनाते थे कि प्रार्थिया को सभी देवरो के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने पड़ेगे। उपरोक्त सारी बात प्रार्थिया ने मायके आने पर अपनी मां व पिता को बताई। जिसपर प्रार्थिया के पिता प्रार्थिया की ससुराल गये और उन्हे समझाया कि अभी हमारी आर्थिक स्थित ठीक नही है। कुछ समय बाद व्यवस्था हो जाने पर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी कर देंगे। यह कहते हुये प्रार्थिया के पिता प्रार्थिया के ससुराल छोड़ आये। किन्तु प्रार्थिया के ससुरालीजनों के व्यवहार मे कोई परिवर्तन नही आया और प्रार्थिया हिन्दू नारी होने के नाते सब कुछ यह सोचकर सहन करती रही कि धीरे धीरे सब ठीक हो जायेगा। किन्तु दिनांक 12.10.2014 को प्रार्थिया के पति व देवरो ने मारपीट कर पहने हुये कपडो मे एटा बस स्टेण्ड पर छोड़ दिया और कहा कि जब

Digitally signed by JAGRATI KESARWANI
Date: 2026.08.11 16:59:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तक अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नही होगी जब तक तुझे घर मे नही घुसने देंगे। प्रार्थिया करीब 3 माह के गर्भ से थी व मुश्किल तमाम अपने पिता के घर पहुंची जहां पर दिनांक 01.04.2015 को सीमा गर्ग अस्पताल आगरा मे प्रार्थिया ने एक बेटी को जन्म दिया जो इस समय लगभग 3 वर्ष 4 माह की है। प्रार्थिया के ससुरालीजनों द्वारा प्रार्थिया की कोई देखरेख नही की और न प्रार्थिया को आपरेशन से बच्ची पैदा होने के समय देखने आये और न कोई आर्थिक मदद की विवश होकर प्रार्थिया अपने पिता के घर अपनी बच्ची नीर सहित बोझ बनकर रह रही है। अभी दिनांक 12.08.2018 को शाम 5 बजे प्रार्थिया का पति सन्दीप एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ प्रार्थिया के पिता के घर आया और कहने लगा कि अब तक तेरे घर वालो ने हमारी अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नही की। हमने काफी इन्तजार कर लिया अब हम तुझे व तेरी लड़की को अपने घर मे नही घुसने देंगे और हम दूसरी शादी कर लेंगे प्रार्थिया ने दूसरी शादी करने से मना किया। तो प्रार्थिया को गन्दी गन्दी मां बहिन की गाली देते हुये मारपीट करने लगा शोर पर प्रार्थिया के पिता व मौहल्ले के वीरकान्त व विनय कुमार आदि लोग आ गये। जिन्होने प्रार्थिया को बचाया तो यह कहते हुये चला गया कि अगर बच्ची को लेकर मेरे घर आयी तो तुझे व तेरी बच्ची को जान से मार देंगे। प्रार्थिया अपनी रिपोर्ट लिखाने आयी है।"

3– उक्त घटना के आधार पर थाने पर अपराध संख्या–19/2018 अन्तर्गत धारा– **498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०एक्ट** के अन्तर्गत थाना महिला थाना पर अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि जी०डी० में की गयी। विवेचना विवेचक को सौंपी गयी।

4– विवेचना एस०आई० कंचन कटियार द्वारा की गई, जिनके द्वारा नक्शा नजरी तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० अभियोग दैनिकी में लेखबद्ध किये गये। विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा– **498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०एक्ट** के अंतर्गत प्रथमदृष्टया मामला पाते हुए विवेचना सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने के उपरान्त **आरोप पत्र** न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 23.09.2019 को प्रसंज्ञान लिया।

5– अभियुक्तगण को विचारण हेतु न्यायालय आहूत किया गया, आहूत किये जाने पर अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये। उन्हें अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं। तदोपरान्त दिनांक 15.04.2022 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा– **498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०एक्ट** के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करते हुए विचारण की माँग की। अतः अभियुक्तगण का उक्त आरोपों के सन्दर्भ में न्यायालय के द्वारा विचारण किया गया।

6– अभियोजन द्वारा अपने कथनों के समर्थन में **अभिलेखीय साक्ष्य** में आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी रिपोर्ट, मेडीकल प्रपत्र एवं केस डायरी पत्रावली पर

दाखिल किये गये हैं। मौखिक साक्ष्य में अभियोजन द्वारा **पी०डब्लू० 1 सोनिका जैन** , **पी०डब्लू० 2 जिनेन्द्र कुमार, पी०डब्लू० 3 ज्योत्सना जैन, पी०डब्लू० 4 सोनू कुमार, पी०डब्लू० 5 मूलचन्द्र व पी०डब्लू० 6** रूप में **राकेश कुमार** को परीक्षित कराया गया है। वादी मुकदमा की ओर से अन्य गवाहों को उन्मोचित कराये जाने हेतु उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2026 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियोजन अधिकारी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई । उन्मोचन प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2026 को स्वीकृत किया गया। अन्य कोई मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्य अभियोजन द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7– तदोपरान्त अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में सम्मिलित आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा–नजरी आदि के निष्पादन की सत्यता को धारा **294 दं०प्र०सं०** के प्रावधानों के अन्तर्गत औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया।

8– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त दिनांक को **धारा 313 दं०प्र०सं०** के अन्तर्गत अभियुक्तगण के कथन लेखबद्ध किये गये, जिनमें उसके द्वारा घटना के बारे में गलत है व झूठा चला बताया गया, हालांकि अभियुक्तगण ने अपने कथनों के समर्थन में कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

9– मैंने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

10– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण पर इस आशय का आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया मुकदमा से अतिरिक्त दहेज की मांग व भद्दी भद्दी गालियां दी गयी, लाठी–डण्डों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा इसी प्रयोजनार्थ पर की जायेगी।

11– अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस अनुक्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक को सिद्ध करने हेतु वादी मुकदमा अजमल हुसैन को पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित कराया गया।

12– अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में साक्षी **पी०डब्लू० 1 सोनिका जैन , पी०डब्लू० 2 जिनेन्द्र कुमार, पी०डब्लू० 3 ज्योत्सना जैन, पी०डब्लू० 4 सोनू कुमार, पी०डब्लू० 5 मूलचन्द्र व पी०डब्लू० 6 के रूप में राकेश कुमार**को परीक्षित कराया गया है।

13– **पी०डब्लू०–1** ने अपनी मुख्य परीक्षा में एफ.आई.आर. में वर्णित घटना का समर्थन कर अपनी जिरह में कथन किया है कि –मैं हाईस्कूल (High school) पढ़ी–लिखी हूँ। मैं लिखना–पढ़ना जानती हूँ। मैं दिन, महीना, साल को अच्छे से समझती हूँ। मेरे पिताजी का नाम जिनेन्द्र कुमार जैन है। मैंने हाईस्कूल जैन स्कूल से किया है जो ठंडी सड़क पर है। किस वर्ष में किया था, पता नहीं। मेरी शादी संदीप जैन के साथ मेरी राजी–खुशी से हुई थी। शादी से पूर्व मैंने संदीप का घर नहीं देखा था और न ही वहाँ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। हमारी शादी शिवम होटल (Shivam Hotel) फिरोजाबाद में 24–02–12 में हुई

थी। कितने लोग शामिल हुए, मुझे मालूम नहीं। मेरे सारे रिश्तेदार शादी में गये थे या नहीं, मुझे नहीं पता। शादी दिन में हुई थी। मेरे पिता ने मेरी शादी में कोई सामान नहीं दिया था, 10 लाख रुपये खर्च किये थे। फिर कहा, कुंडल, चेन, चार चूड़ी और पायल मुझे दी थी और संदीप को शादी तथा सगाई मिलाकर दो चेन, दो अंगूठी दी थी। इसके अलावा बर्तन भी दिये थे। ये सारा सामान एटा से मेरे पिता ने खरीदा। मैं साथ नहीं गयी थी। मेरी शादी पप्पी जैन ने करायी जो एटा की है। पप्पी जैन महिला है। इन्होंने ही रिश्ता कराया था। रिश्ते में लेन–देन में क्या तय हुआ था मुझे पता नहीं। कि मैं संदीप जैन के साथ ढाई साल रही। मैं ढाई साल तक अपनी ससुराल में रही। जब मैं विदा होकर ससुराल गयी थी तो वहाँ मेरे पति के अलावा तीन देवर भी थे। उस समय किसी देवर की शादी नहीं हुई थी। सब साथ–साथ रहते थे। उनका व्यवहार सही था। शादी से पूर्व मेरे पति काम करते थे और अब नहीं करते हैं। संदीप जैन के बगल में किसका घर है यह मुझे नहीं पता। ससुराल में तीन कमरे नीचे ही थे। जिसमें लैट्रिन, बाथरूम, किचन थे। वहाँ रखने–खाने पीने रहने की काफी दिक्कतें थीं। दो बेंच थीं एक ऊँची एक नीची। कुछ नहीं था। मैं खाना सब के लिए बनाती थी। मेरे तीनों देवर फैक्टरी में नौकरी करते थे। शादी के बाद दि० 10–10–13 में मैंने एक बेटी को जन्म दिया था जो 10 दिन बाद खत्म हो गयी। उसके बाद दि० 10–04–15 को मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई। मेरी दूसरी बेटी आगरा सीमा गर्ग अस्पताल में Operation (ऑपरेशन) से हुई थी। मुझे अस्पताल में पिता ने दाखिल किया था। मुझको एटा से आगरा ले गये थे जिसकी सूचना मेरे पिता ने पति संदीप जैन को दी लेकिन वह नहीं आये। मेरे पति 13 दिन बाद घर पर एटा आये। मुझसे मिलकर, बेटी का फोटो खींच कर ले गये। मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि किसी चीज की जरूरत है या नहीं। और न ही ससुराल ले जाने के लिए पूछा और न ही कोई फल लेकर आये थे। उनके साथ कितने लोग आये थे, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा था। उसके तीन साल बाद संदीप मेरे पति मुझे बुलाने आये। उस समय मैं घर पर अकेली थी। मैंने कहा कि पापा बाहर हैं, जब वो आ जायेंगे तब चलेंगे। इस बात पर उन्होंने मुझे चाटा मारा जिससे मेरा चश्मा गिरकर टूट गया। शोर सुनकर मेरे पापा, मोहल्ले के चाचा विनय कुमार और वीरकांत आ गये। जब संदीप जैन ने मुझे थप्पड़ मारा तो उस समय मेरे पापा घर से बाहर सड़क पर थे। वीरकांत का घर मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है। विनय कुमार का घर दूर है। घटना शाम 05 बजे की घटना है। कोई फल वगैरह नहीं लेकर आये। संदीप ने आते ही बोला था कि चलो, मैंने उनसे चाय–पानी को पूछा था या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरी माँ का नाम ज्योत्सना जैन है जो घर पर रहती है। वो कम पढ़ी–लिखी है। मेरी दूसरी बेटी का नाम नीर जैन है। नीर जैन के जन्म के बाद संदीप जैन मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आये। मेरे पति संदीप जैन ने अभी तक मेरी बेटी को नहीं देखा है। FIR घटना के अगले दिन दर्ज हुई थी। महिला थाने में दर्ज हुई थी। बिना किसी आदेश के FIR दर्ज हुई थी। मैंने मेरी चोटों का मुआयना कराया था या नहीं, ध्यान नहीं है। प्रार्थना पत्र देते समय मेरे पापा साथ में थे। प्रार्थना पत्र टाइपशुदा था या लिखा हुआ, पता नहीं। मुझे ध्यान नहीं कि मैंने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये या नहीं। मैं इस मुकदमे के संबंध में इलाहाबाद गयी थी। वहाँ साथ–साथ रहने की सहमति नहीं बनी थी। वहाँ पर मेडिएशन सेंटर से संदीप को जज साहब ने भगा दिया था। मेडिएशन सफल नहीं हुआ था। सिर्फ एक बार मेडिएशन सेंटर

इलाहाबाद में बुलाया था। मेडिएशन से कोई रुपया प्राप्त नहीं हुआ न ही खाते में आये। विवेचना के दौरान हमारा सुलह समझौता महिला थाने में हुआ था या नहीं मुझे याद नहीं। मुकदमा पंजीकृत होने बाद में महिला थाने कभी नहीं गयी। इस मुकदमे के अलावा मेरा एक और मुकदमा परिवार न्यायालय में तलाक का चल रहा है। आने वाले तारीख की मुझे तिथि याद नहीं है । तालाक वाले मुकदमे में बयान नहीं हुआ । जब संदीप जैन मेरे घर दिनांक याद नहीं मिलने आये तो मेरी माँ सो रही थी। मम्मी ऊपर वाली मंजिल पर सो रही थी। बेटी मम्मी के पास सो रही थी। मेरी मम्मी नहीं आ पायी मैं अपने पति से तालाक लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे परेशान करते है, ताश खेलते है, पहले काम करते थे। अब पता नहीं। जो भी कमाकर लाते थे मुझे कुछ नहीं देते थे। घर का सामा खाने–पीने का संदीप लाते थे। अगर वो मेरे साथ मारपीट न करे, घर का सारा सामान लाकर दे मुझे रूपया भी दे तब भी मैं रहना नहीं चाहूँगी। मैं इस मुकदमे में समझौता नहीं चाहती हूँ। यह कहवा गलत है कि मैने यह मुकदमा संदीप जैन या उसके परिवार वालों से 10–15 लाख रूपये लेने के लिए लिखवाया है।

15– **पी०डब्लू०–2 जिनेन्द्र कुमार सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में एफ.आई.आर. में वर्णित घटना का समर्थन कर अपनी जिरह में कथन किया है कि मैं जिला पंचायत में प्रसाशनिक अधिकारी के पद पर कार्य करता था। मैं 01.08.2010 में रिटायर्ड हुआ था। मुझे अब पेंसन 25,200 रूपये प्रतिमाह मिल रही है। तथा इस पर महगाई राहत और मिल रही है। सेवा निवृत पूर्व कितना वेतन मिल रहा था । मुझे नहीं पता । मेरी चार बेटी हैं, मैंने सभी बेटियों की शादी कर दी है। जिसमें सोनिका तीसरे नम्बर की बेटी है। चौथी बेटी चारू जैन का विवाह इटावा में सन् 2015 में किया था। जिसमें मैंने 3–4 लाख रुपया खर्च किया था। चारू का पति सरकारी अध्यापक है, जो राजी–खुशी से रह रही है। मेरी सबसे बड़ी बेटी मोनिका जैन की शादी सन् 2007 में जनपद फिरोजाबाद में दामाद मोहित जैन, जो घी का व्यवसाय करते हैं। मैंने बड़ी बेटी की शादी में करीब 5 लाख रुपया खर्च किया है। सोनिका जैन मेरी तीसरे नम्बर की बेटी है। दूसरे नम्बर की बेटी सोनिका जैन है जिसकी शादी मैंने 2010 में जसवन्त नगर इटावा में अनुज जैन के साथ की थी। सोनिका जैन के पति अनुज जैन को–ऑपरेटिव सहकारी समिति इटावा में कार्यरत हैं। सोनिका की शादी मैंने जसवन्त नगर इटावा जाकर ही की थी। सोनिका की शादी में केवल 4 लाख रुपया ही खर्च किया था। मैंने सोनिका की शादी सन् 2012 में की थी। सोनिका की शादी संदीप जैन के साथ की थी। राजी–बाजी के साथ की थी। मेरी बेटी सोनिका जैन ने कक्षा 10 तक पढ़ी लिखी है। किस विद्यालय से हाई स्कूल किया है यह मुझे ध्यान नहीं। सरकारी विद्यालय से किया है या प्राइवेट से यह भी मुझे याद नहीं। मैंने कभी सोनिका को उसके विद्यालय परीक्षा दिलाने नहीं गया। मुझे शादी के 1 महीने बाद ही मालूम पड़ गया कि शादी में दिये गये दान–दहेज से उसके पति और भाई खुश नहीं हैं यह बात मुझे सोनिका ने मोबाइल द्वारा बतायी और यह बात एटा आने पर भी मुझे बताई। जिस नम्बर से सोनिका ने मुझे यह बात बताई वह मोबाइल मैंने स्वयं खरीद कर मय SIM के दिया था जिसका मुझे अब याद नहीं है। यह बात सोनिका ने मेरी पत्नी को भी बतायी थी। सोनिका ससुराल से 1 महीने बाद मायके आने के 15 दिन बाद वापस संदीप के साथ राजी बाजी से अपनी ससुराल चली गयी। फिर गवाह

ने बताया कि संदीप के माफी माँगने के बाद सोनिका को बुला कर ले गये। उसके बाद सन् 2013 में सोनिका के एक बेटी पैदा हुयी। सोनिका की बेटी 10 दिन तक जीवित रही। सोनिका की बेटी रेलवे रोड फिरोजाबाद में एक हॉस्पिटल है उसमें पैदा हुयी थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सोनिका अपनी मम्मी के साथ अपने ससुराल चली गयी थी। सोनिका की माँ ज्योत्सना जैन 10 दिन तक सोनिका के साथ संदीप के घर रही। उसके बाद संदीप ने मेरी पत्नी से कहा आप एटा जाओ अब आपका यहाँ कोई काम नहीं है। मेरी पत्नी के आने के बाद उसी दिन रात को 11:00 बजे मेरी बेटी सोनिका से फोन पर बात हुयी थी। बात होने के बाद हम अगले दिन सुबह 6:00 बजे पहुँच गये थे। मेरे बड़े दामाद का मेरे घर आना जाना अभी भी है हमारे बीच कोई मन मुटाव नहीं है। सोनिका अपनी ससुराल से दिनांक 12.10.2014 को ससुरालीजन द्वारा मार–पीट कर बस स्टैंड पर छोड़ गये थे यह बात सोनिका ने घर आकर बतायी थी कि मुझे संदीप जैन बस स्टैंड पर छोड़ कर गया है और यह भी बताया था कि मैं घर आगयी हूँ और वो भी घर आ रहे हैं। सोनिका जब घर आयी उस समय शाम के पाँच बज रहे थे। दिनांक 12.10.2014 के बाद मैंने दिनांक 13.10.2018 को F.I.R. करायी थी। तहरीर टाइप शुदा जिस पर सोनिका जैन के हस्ताक्षर किये गये थे महिला थाने दी थी। F.I.R. तुरन्त दर्ज हुई या नहीं यह मुझे ध्यान नहीं। दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे। दरोगा जी ने किस दिन बयान लिया था मुझे ध्यान नहीं है। दरोगा जी ने मेरे बयानों के साथ ही मेरी पत्नी व मेरी पुत्री सोनिका का भी बयान लिया था। संदीप जैन दिनांक 12.10.2018 की शाम को मेरे घर आये थे। उस समय संदीप अपने हाथ में कोई फल वगैरह और ना ही मिठाई लेकर आये थे। संदीप जैन करीब 1 घण्टे घर पर रुके थे। उस समय मैं घर पर नहीं था घर के बाहर मन्दिर के पास 3–4 लोगों के साथ खड़ा हुआ था जब मैं आया संदीप जैन मुझे घर पर ही मिले थे। कोई बोल–चाल नहीं हुई थी। मेरे आने के बाद संदीप जैन मुझसे और मेरी बेटी से 5 लाख रुपये दहेज की माँग कर रहे थे मैंने दहेज देने से मना किया तो मुझे व मेरी बेटी के साथ गाली–गलौज की और मार–पीट की, मार–पीट में मेरी बेटी का चश्मा टूट गया और संदीप मार–पीट करके चले गये। घटना के समय वीरकान्त और विनय जैन जो पहले से मौजूद थे उन्होंने मुझे व मेरी बेटी को बचाया। संदीप जैन मुझे व मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। और घटना के दूसरे दिन ही मैंने F.I.R. करा दी थी। मेरा व मेरी बेटी का कोई मेडिकल नहीं कराया था और F.I.R. करने से पहले कोई पंचायत नहीं की थी। महिला थाने में कोई समझौता नहीं हुआ चूंकि मैं सोनिका के साथ मौजूद रहा हूँ। हमारा मीडिएशन मा० उच्च न्या० इलाहाबाद में हुआ था जिसमें संदीप जैन ने 10000/– रुपये जमा किये जिसमें 9000/– रु० चेक द्वारा प्राप्त हुये थे। इलाहाबाद मीडिएशन में हमें केवल एक ही बार बुलाया गया था। मीडिएशन असफल रहा था। उस समझौता केन्द्र में मैं और मेरी बेटी के अलावा मेरे बड़े दामाद मोहित जैन साथ में थे। समझौता केन्द्र में संदीप जैन ने हमलोगों के सामने व जज साहब के सामने मुझे व मेरे दामाद को गुण्डा कहा तो इस कारण वहाँ मौजूद जज साहब ने समझौता केन्द्र से भगा दिया। और अगर वो गुण्डा नहीं कहते तो भी मैं अपनी बेटी सोनिका को संदीप जैन के साथ नहीं भेजता। मैंने अपनी बेटी से संदीप से छुटकारा पाने के लिये तलाक का दावा दायर करवाया है जो पारिवारिक न्यायालय एटा में चल रहा है तथा भरण–पोषण का भी डाला है। पत्रावली

पर कौन सी तारीख है वो मुझे याद नहीं है। जब–जब सोनिका ने मुझे कुछ फोन पर बताया तो मैंने केवल सुना वहाँ जाकर अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा। लेकिन संदीप ने मेरे घर आकर गाली–गलौज और मार–पीट मेरे सामने सोनिका और मेरी की थी। शादी से पूर्व मेरी बेटी मानसिक रूप से ठीक थी। लेकिन शादी के बाद प्रताड़ना की वजह से मानसिक रूप से बीमार हो गयी थी। जिसका मैंने इलाज कराया लेकिन अब भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है जैसी थी वैसी है। यह कहना गलत है कि मैंने यह मुकदमा संदीप जैन को अपने साथ एटा रखने के लिये झूठा दायर कराया है। यह कहना गलत है कि मेरी बेटी संदीप जैन को अपने साथ अलग रखना चाहती थी।

16– **पी०डब्लू०–3 ज्योत्सना जैन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में एफ.आई.आर. में वर्णित घटना का समर्थन कर अपनी जिरह में कथन किया है कि– मैं कक्षा 10 तक पढ़ी–लिखी हूँ। मेरी 4 पुत्रियाँ हैं, जिनमें सोनिका जैन मेरी तीसरे नंबर की बेटी है जिसका विवाह हमने सन् 2012 में संदीप जैन पुत्र जय किशोर जैन के साथ किया था। शादी का कार्यक्रम दिन में हुआ था और बारात आई थी। शादी से पहले संदीप के बारे में छानबीन कर संतुष्ट होकर 10 लाख रुपये खर्च करते हुए शादी की थी। शादी से पूर्व संदीप ने 6 लाख रुपये नगद हमसे ले लिए थे, लेकिन मैं यह नहीं बता सकती कि उस 6 लाख रुपये का उन्होंने क्या किया था। शादी से पहले संदीप जैन का मकान केवल ईंटों द्वारा निर्मित था, शादी पर मकान में सुधार हो चुका था। मैं अपनी बेटी की ससुराल केवल 2 बार गई हूँ, पहली बार जब मेरी बेटी के पहली पुत्री हुई थी तब, तथा दूसरी बार जब उस पुत्री की जन्म के उपरांत मृत्यु हुई थी तब। फोन पर सोनिका से मेरी बात होती थी, तब उसने मुझे बताया था कि ये लोग मुझे परेशान करते हैं और 5 लाख रुपये की मांग या फिरोजाबाद में मकान दिलाने की मांग करते हैं। जब सोनिका ने मुझसे शिकायत की तो मैंने अपने पति को उसकी ससुराल भेजा था; मेरे पति ने मामला शांत करा दिया था और संदीप ने माफी भी मांगी थी। कुछ दिनों बाद हम अपनी बेटी को बुला लाए थे। उसके बाद राजी–खुशी से संदीप जैन 15 दिन बाद मेरी बेटी को विदा कराकर ले गए थे। मेरी बेटी मानसिक रूप से अब परेशान है, शादी से पूर्व ठीक थी। मेरे घर से संदीप जैन द्वारा ले जाने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया और वे 5 लाख रुपये की मांग लगातार करते रहे। आखिरी बार मेरी बेटी को बस स्टैंड पर पहने हुए कपड़ों में ही छोड़ गए। वह जैसे–तैसे घर पहुँची और उसने मुझे बताया कि संदीप जैन मुझे बस स्टैंड पर छोड़ गए हैं और कह गए हैं कि अभी आ रहा हूँ, लेकिन नहीं आए। संदीप जैन मेरे घर मेरी बेटी के दूसरी बेटी होने के 13 दिनों बाद आए और मेरी बेटी की बच्ची की फोटो खींचकर चले गए। उसके 3 साल बाद पुनः संदीप जैन एक अज्ञात व्यक्ति के साथ दिनांक 12.08.2018 को मेरे घर आए। उस समय मैं ऊपर वाली मंजिल के कमरे में अपनी धेवती को लेकर सो रही थी। गर्मी के दिन थे, कमरे में पंखा चल रहा था। जब मुझे चीख–पुकार की आवाज सुनाई दी, तब मैं नीचे गई तो देखा कि मेरी बेटी का चश्मा टूटा पड़ा है, वह रो रही थी और अकेली थी। उसके पापा बाहर थे, शोर सुनकर वे भी आए तथा उनके साथ उनके 2 मित्र विनय जैन व वीरकांत भी आए। मेरे सामने संदीप ने मेरे पति की कॉलर पकड़कर मारपीट की और धमकी देकर चला गया कि "तू मेरे घर आई तो तुझे मार दूंगा।" जब हमने संदीप जैन के साथ शादी की थी, तब उनके पास दो ही मकान थे, अन्य

कोई प्लॉट या मकान नहीं था। यह कहना गलत है कि मेरी बेटी जन्म से मानसिक रूप से परेशान है और इस कारण हमने संदीप जैन पर अपने घर रखने का दबाव डालने के लिए यह मुकदमा दायर किया है। यह कहना सही है कि संदीप जैन ने मेरी बेटी से दहेज की मांग की है। संदीप जैन आज भी मेरे घर पर परेशान करने के लिए फोन करते हैं, जिसे हमने 2–3 बार उठाया है, परंतु अब नहीं उठाते हैं। यह कहना सही है कि घटना के बाद मैंने संदीप जैन को नहीं देखा है।

17– **पी०डब्लू०–4 सोनू कुमार** ने अपनी जिरह में कथन किया है कि– तहरीर देने वादिया आई थी। वादिया अपने परिजनों के साथ आई थी। प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष महिला को दिया था। दिनांक 17/08/2018 को मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस दिन मेरी महिला थाना कार्यालय में ड्यूटी थी। इसकी विवेचना SI मूलचन्द को दी थी। वादिया के साथ आने वालों में मुझे उसके पिता का ध्यान है और किसी का ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि वादिया और उसके परिजनों से साँठ–गाँठ करके अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। यह कहना गलत है कि मेरा वादिया या उसके परिजन के घर आना–जाना है, इस वजह से मुकदमा लिखा है। यह कहना भी गलत है कि मैं संदीप जैन को पहले से जानता हूँ।

18– **पी०डब्लू०–5 मूलचन्द्र**ने अपनी जिरह में कथन किया है कि– मैं थाना – महिला थाना पर दिनांक 17–08–18 को बतौर सब–इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। मु०अ०सं०–19/18 की विवेचना मुझे प्राप्त हुई। इस मुकदमे की वादिया श्रीमती सोनिका जैन हैं। वादिया का बयान मैंने लिया था। वादिया के पिता जिनेन्द्र जैन व माँ ज्योत्स्ना जैन के बयान मैंने अंकित किए थे। इस मुकदमे से सम्बंधित मेडिएशन रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो सका। समझौता जिला विधिक प्राधिकरण में होता है। मेडिएशन रिपोर्ट में अभियुक्त संदीप जैन अपनी पत्नी को रखना चाहता है लेकिन वादिया जाने को तैयार न हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। इस मुकदमे से सम्बंधित मेडिएशन महिला थाने में थाना अध्यक्ष द्वारा कराया गया हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। घटना स्थल का निरीक्षण मैंने किया था। नक्शा नजरी मैंने बनाया था। मैंने वादिया व उसके माता–पिता का बयान उनके घर पर लिया था। F.I.R. में मोहल्ले के गवाहान वीरकांत व विनय कुमार आदि के बयान मेडिएशन होने के कारण मैंने नहीं लिए। मेडिएशन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित था। घटना दिनांक 12–08–18 की है और F.I.R. 17–08–18 को लिखी गई। और मैंने दिनांक 18–08–18 को बयान वादिया व उसके माता–पिता का बयान लिया। दिनांक 10–10–18 को माननीय उच्च न्यायालय के मेडिएशन की प्रति प्राप्त हुई थी, तब तक विवेचना प्रचलित थी। वादिया ने अपने 161 Cr.P.C. के बयान में F.I.R. का समर्थन किया। मैंने विवेचना में दिए गए बयानों के आधार पर ही विवेचना की है। घटना स्थल का निरीक्षण मैंने किया है। वादिया के घर के सामने सड़क है। सड़क पूर्व से पश्चिम में है। मैंने उक्त विवेचना में किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया है।

19– **पी०डब्लू०–6 राकेश कुमार** ने अपनी जिरह में कथन किया है कि– यह विवेचना मुझे दिनांक 03–07–2019 को मिली थी। उससे पहले S.I. लक्ष्मी सिंह ने की थी

(मैंने दो पर्चे काटे हैं)। पर्चा नं०–9 मेरे द्वारा दिनांक 03–08–19 को किता किया गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल मेडिएशन की जानकारी हुई जिसमें सुलह–समझौता असफल रहा। मेडिएशन सेन्टर का आदेश पत्रावली पर लगा है जो असफल रहा। किन कारणों से असफल रहा यह मुझे नहीं मालूम। मैंने अभियुक्त संदीप जैन से धारा 41/1 CrPC का नोटिस तामील कराया था। वहाँ लोगों से इस बारे में जानकारी की तो बताया कि स्वतन्त्र गवाह दीपक शर्मा, वीरपाल सिंह, श्रीमती रामवती, आसमीन, राजदेव त्रिपाठी, मुनेश शर्मा, रनवीर सिंह ने बताया कि अन्य अभियुक्तगण राहुल जैन, बीनेश जैन, सन्तोष जैन जो संदीप जैन के सगे भाई हैं और इनसे काफी समय से अलग रहते हैं तथा अपना जीवन यापन करते हैं और अपने भाई संदीप जैन से कोई लेना–देना नहीं है। स्वतन्त्र गवाहों ने यह भी बताया कि पति–पत्नी के बीच विवाद रहता है, कोई कारण नहीं बताया। मैंने संदीप जैन के व्यवहार बाबत अन्य कोई जानकारी नहीं की। यह कहना गलत है कि मैंने अपनी कार्यगुजारी के लिये संदीप जैन को अभियुक्त बनाया है। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूँ।

20– विपक्षी द्वारा अपने कथानक के समर्थन में साक्षी **डी०डब्लू०–1 वीरपाल, डी०डब्लू०–2 के रूप में अम्वेश उपाध्याय** को परीक्षित कराया गया है, परन्तु उक्त साक्षियों को जिरह हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः इनके कथनों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जायेगा।

समीक्षा एवं निष्कर्ष

21– प्रस्तुत प्रकरण मे परिवादिनी को अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा –498ए ,323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना है।

22– सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रकरण में **धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961** का उल्लेख अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादिनी को अंतर्गत धारा–498ए दं०प्र०सं यह साबित करना अनिवार्य है कि–

I– यह कि पीड़िता विधिवत विवाहित स्त्री होनी चाहिए,

II– यह कि उसके पति के किसी संबंधि द्वारा क्रूरता की गयी हो,

II– यह कि उक्त क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए जो उस स्त्री को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए संभावना उत्प्रेरित करें अथवा उसके जीवन अंग या मानसिक अथवा शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति अथवा संकट लाने दे अथवा उसे या उसके संबंधियों को किसी प्रकार की संपत्ति को मूल्यांकन वस्तुओं की मांग पूरी करने के लिए विवश करने के उद्देश्य से की हो,

इन अपराधों का **दोषपूर्ण कृत्य (Actus reus)** अभियुक्तगण द्वारा किया गया वास्तविक अपराध या व्यवहार सिद्द होना चाहिए, अपराध कराने के लिए मानसिक उत्पीड़न करना या दहेज की मांग इत्यादि । वहीं **दोषपूर्ण मनोभाव (Mens rea)** को दर्शाता है , जिसमें अभियुक्तगण को यह ज्ञान या आशय होता है कि उसका व्यवहार पीड़िता को

मानसिक या शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने वाला है या उससे अवैध मांग पूरी करने के लिए विवश करेगा। यह मानसिक तत्व परिस्थितियां आचरण की निरंतता और संपूर्ण घटना क्रम से अनुमानित किया जाता है , सिर्फ सामान्य वैवाहिक मारपीट, झगड़े या घरेलू वाद विवाद अपने आप धारा –498 ए भा०दं०सं० के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता ।

23– **धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961,** के संबंध में अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्तगण ने दहेज की मांग की और उसी मांग के कारण उत्पीड़न हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अप्पासाहिब बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 9 SCC 721** में यह प्रतिपादित किया है कि केवल सामान्य घरेलू विवाद या उपहार मांगने को दहेज मांग नहीं माना जा सकता जब तक यह विवाह के अवसर पर या उसके कारण ना हो ।

24– पीडब्ल्यू–1 सोनिका जैन ने अपने मुख्य परीक्षा में ₹5,00,000/– या फिरोजाबाद में मकान की मांग किये जाने तथा प्रताड़ित किये जाने का कथन किया है। पीडब्ल्यू–2 जिनेन्द्र कुमार तथा पीडब्ल्यू–3 ज्योत्सना जैन ने भी उक्त कथन का समर्थन किया है। किन्तु इन तीनों साक्षियों के कथनों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि सभी साक्षी परस्पर निकट संबंधी हैं तथा कथित दहेज मांग अथवा प्रताड़ना के संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी का समर्थन उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अतिरिक्त दहेज की मांग के संबंध में साक्षी पी०डब्लू० 2 जिनेन्द्र कुमार सिंह व साक्षी पी०डब्लू० 3 ज्योत्सना जैन के द्वारा यह कथन किया गया है कि अतिरिक्त दहेज की मांग अभियुक्त संदीप पीडिता से करता था जो पीड़िता के द्वारा साक्षीगण पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 को फोन पर बताया गया था, इससे यह विदित होता है कि साक्षीगण पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 से अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की गई थी बल्कि इसका कथन पीडिता से किया गया था, इसलिए यह साक्ष्य एक अनुश्रुत साक्ष्य है जो संधारणीय नहीं है व आग्रह साक्ष्य हैं।

Peter Murphy, "Hearsay evidence is an evidence from any witness which consist of something stated by some other person on any prior occasion to the person giving the evidence."

Hon'ble Supreme Court in the case of **Kalyan Kumar Gogoi Versus Ashutosh Agnihotri and Anr (2011)** observed that certain parameters are there on the basis of which hearsay evidence does not hold much relevance in the eyes of law, namely; 1. The responsibility on the part of the person presenting hearsay evidence stands null which ipso facto destructs the objective of the evidence law which requires every evidence presented before the court to be made with responsibility, and knowledge on the part of the individual who is providing. This is also because if otherwise happens, then the person can be accused on the grounds of falsehood by the court.

2. Hearsay evidence dilutes the truth that needs to be presented before the court which thereby wastes the precious time of the court, and the other party to the case, and
3. If hearsay evidence is permitted by the courts, then the same facilitates ample room for fraud, misrepresentation, and undue influence to take place, which stands unjust for the party against whom the evidence is laid down.

25– दहेज मांग के संबंध में भी कोई स्वतंत्र दस्तावेजी अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियोजन यह भी स्पष्ट नहीं कर सका कि कथित ₹5,00,000/– की मांग किस निश्चित अवसर पर, किस व्यक्ति द्वारा तथा किन परिस्थितियों में की गयी। सामान्य एवं अस्पष्ट आरोपों के अतिरिक्त कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

26**–** अभियोजन ने यह भी आरोप लगाया कि अभियुक्त द्वारा वादिनी को देवरों के साथ शारीरिक संबंध बनाने हेतु बाध्य किया जाता था। यह अत्यंत गंभीर आरोप है। किन्तु न तो इस संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी का समर्थन प्राप्त है, न किसी पूर्व शिकायत का अभिलेख प्रस्तुत किया गया है तथा न ही अन्य कोई विश्वसनीय पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। अतः केवल मौखिक कथन के आधार पर इस गंभीर आरोप को संदेह से परे सिद्ध नहीं माना जा सकता।विवेचक पीडब्ल्यू–6 राकेश कुमार ने अपनी विवेचना में स्वतंत्र साक्षियों के आधार पर सह–अभियुक्त संतोष, राहुल एवं दिनेश के विरुद्ध आरोपों को असत्य पाया तथा उनके विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया। यह तथ्य भी इंगित करता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में समस्त पारिवारिक सदस्यों का नामांकन किया गया था, किन्तु विवेचना में आरोप पूर्णतः पुष्ट नहीं हुए। यह परिस्थिति अभियोजन साक्ष्य के सावधानीपूर्वक परीक्षण की अपेक्षा करती है।

27– साक्षी पी०डब्लू० 2 जिनेन्द्र कुमार सिंह व साक्षी पी०डब्लू० 3 ज्योत्सना जैन के द्वारा यह कथन किया गया है कि शादी से पहले उनकी बेटी मानसिक रूप से ठीक थी परंतु शादी के बाद से प्रताड़ना की वजह से मानसिक रूप से काफी परेशान रहती है जिसका इलाज भी करवाया परंतु अभी उसका स्वास्थ ठीक नहीं है, अभियोजन द्वारा इलाज कराये जाने का कथन किया गया है परंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर मेडिकल परीक्षण का उपलब्ध नहीं है।

> माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गिरीधर शंकर तावडें बनाम महाराष्ट राज्य (2002)7 SCC 541** में यह स्पष्ट किया गया है कि धारा–498 ए भा०दं०सं० के अंतर्गत क्रूरता वहीं मानी जायेगी जो अपनी प्रकृति में गंभीर हो तथा साधारण वैवाहिक मतभेदों या कटू कथनों से भिन्न हो । प्रत्येक प्रकार की अप्रिय या अनुचित स्थिति को दंडनीय क्रूरता नहीं माना जा सकता । इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मंजू राम**

कलिता बनाम असम राज्य (2009)13 SCC 330 में यह प्रतिपादित किया गया है कि मानसिक क्रूरता सिद्ध करने हेतु यह आवश्यक है कि अभियोजन यह दर्शाये की अभियुक्त का आचरण जानबूझ कर निरंतर तथा ऐसी तीव्रता तथा जिससे पीड़िता का मानसिक संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ हो।

28– उपर्युक्त समस्त परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्त संदीप जैन के विरुद्ध **धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आवश्यक अवयवों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है।** अतः इन धाराओं का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित है।

29– **धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860** के अंतर्गत अभियोजन को यह सिद्ध करना होता है कि–

I–आरोपी ने पीड़ित को किसी प्रकार की अपराधिक धमकी(Criminal Intimidation) दी,

II–उक्त धमकी जीवन, अंग, प्रतिष्ठा, संपत्ति या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने से संबंधित थी तथा,

III– आरोपी का उद्देश्य पीड़ित को भयभीत करना, उसे कोई कार्य करने या न करने के लिए विवश करना, या मानसिक आंतक उत्पन्न करना था।

धारा– 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अनुसार धमकी का वास्तविक प्रभाव या पीड़ित की वास्तविक प्रतिक्रिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं है , जितना की आरोपी द्वारा बोले गये भाव व उसका इरादा। इस अपराध का **दोषपूर्ण कृत्य (Actus Reus)** आरोपी द्वारा दिया गया धमकी पूर्ण कथन, इशारा , संदेश या ऐसा व्यवहार है जिसमें पीड़ित को हानि पहुंचाने की चेतावनी दी गयी। चाहे धमकी प्रत्यक्ष रूप से दी जाये या दूरसंचार माध्यम से , यदि शब्द या आचरण स्वभाव से भय उत्पन्न करने योग्य है तो दोषपूर्ण कृत्य सिद्ध होता है। वहीं **दोषपूर्ण मनोभाव (Mens Rea)** आरोपी का वह इरादा है जिसके तहत वह जानता है कि उसके शब्दो/आचरण से पीड़ित को भय होगा और वह उसे दवाब में लाने हेतु धमकी दे रहा है। यह मानसिक तत्व घटना की परिस्थितियों , भाषा की तीव्रता , संबंधों और आरोपी के पूर्व आचरण से अनुमानित किया जाता है। धारा–506 भा०दं०सं० के अंतर्गत "अपराधिक धमकी" तब कहीं जाती है जब अभियुक्त किसी व्यक्ति को उसके जीवन,अंग,प्रतिष्ठा या संपत्ति को हानि पहुंचाने की धमकी इस आशय से दे कि वह भयभीत होकर कोई कार्य करे या न करे, इसलिये **दोषपूर्ण कृत्य** वह वास्तविक धमकी है जो अभियुक्त द्वारा दी गयी हो **दोषपूर्ण मनोभाव** वह आशय है कि उस धमकी से पीड़ित पर मानसिक भय का प्रभाव पड़े।

30– प्रस्तुत प्रकरण में साक्षीगण पी०डलबू० 1,पी०डलबू० 2 व पी०डलबू० 3 द्वारा सामान्य रूप से इस चीज का उल्लेख किया गया है कि जान से मारने की धमकी देते हुए अभियुक्त चले गये। अभियोजन साक्ष्य में कथित धमकी का केवल सामान्य उल्लेख है। धमकी के फलस्वरूप उत्पन्न भय अथवा उसके परिणामस्वरूप किसी विशेष आचरण का कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। **अतः धारा 506 IPC के आवश्यक तत्व भी संदेह से परे सिद्ध नहीं होते।**

31– **धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860** के अंतर्गत अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा जानबूझकर ऐसा अपमान किया गया जिससे लोकशांति भंग होने अथवा अपराध कारित होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस अपराध का **दोषपूर्ण कृत्य** (Actus Reus) आरोपी द्वारा किसी व्यक्ति का जानबूझकर अपमान करना या गाली गलौज व अभद्र भाषा बोलना है वही **दोषपूर्ण मनुभाव** (Mens Rea) आरोपी का यह जानते या ईरादा रखते हुए उकसाना की इस अपमान से पी़डित व्यक्ति सार्वजनिक शांति भंग करेंगा यह कोई अन्य अपराध कर बैठेगा। अतः मात्र गाली–गलौज कर देना इस धारा के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि उसका उद्देश्य लोकशांति भंग कराने हेतु जानबूझकर उकसाना सिद्ध न हो। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ कल्लू बनाम उ०प्र० राज्य (क्रिमिनल रिवीजन सं० 1858/1961)** में अवधारित किया गया है कि "....Actual words constituting offence u/s 504 IPC were not mentioned in the complaint, nor in the charges framed nor in the testimony of independent witnesses–conviction and sentence u/s 504 IPC to be set aside..."

32– वर्तमान वाद में यद्यपि पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2 एवं पीडब्ल्यू–3 ने गाली–गलौज का सामान्य उल्लेख किया है, किन्तु अभियोजन द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया कि उक्त कथित गाली–गलौज का उद्देश्य लोकशांति भंग कराने अथवा किसी अपराध के लिए उकसाना था। **अतः धारा 504 IPC का आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होता।**

33– परिवादिया को **धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860** के अंतर्गत दोष सिद्ध के लिए यह सिद्ध करना होता है कि अभियुक्तगण ने स्वेच्छा से (Voluntarily) पीडिता को किसी प्रकार की चोट (Hurt) पहुंचायी हो । **धारा–319 भारतीय दण्ड संहिता, 1860** के अनुसार चोट का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के शरीर, अंग, मन या स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि या कष्ट पहुंचाना । अतः अभियोजन को यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि –

I–पीडित को चोट पहुंची ,
II– वह चोट किसी बाह्य कारण से नहीं बल्कि आरोपी के कृत्य से उत्पन्न हुई , तथा
III– आरोपी का आचरण स्वच्छिक था और उसने चोट पहुंचाने के **आशय** (Intention) या **ज्ञान** (Knowledge) के साथ कृत्य किया ।

इस अपराध का **दोषपूर्ण कृत्य** (Actus reus) वह वास्तविक शारीरिक कृत्य है जिसके द्वारा चोट पहुंचायी गयी– जैसे मारना , थपड़ या मुक्का मारना, धकेलना , लात

मारना , किसी वस्तु से प्रहार करना आदि। यह प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य, चिकित्सीय रिपोर्ट तथा घटना परिस्थितियों से सिद्ध किया जाता है। वहीं **दोषपूर्ण मनोभाव (Mens rea)** उस इरादे या ज्ञान को दर्शाता है कि आरोपा जानता था कि उसके कृत्य से पीड़ित को चोट लगेगी , अथवा वह परिणाम उसे स्वीकार था। **धारा–323 भा०दं०सं०** के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं कि आरोपी का उद्देश्य गंभीर चोट पहुंचाना हो, इतना पर्याप्त है कि अभियुक्तगण ने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया जिससे सामान्य शरीर संबंधी हानि हुई । धारा–323 भा०द०सं० के अंतर्गत परिवादिया का दायित्व है कि वह सिद्ध करें कि अभियुक्तगण ने स्वेच्छा से परिवादिया को चोट (Hurt) पहुंचायी। जिसका दोषपूर्ण कृत्य किसी प्रकार की मारपीट, थपड़, मुक्का , धक्का या अन्य प्रहार है और दोषपूर्ण मनोभाव इस आशय या ज्ञान का है कि उक्त कृत्य से परिवादिया को शारीरिक पीड़ा या कष्ट होगा।

34– पीडब्ल्यू–1 ने स्पष्ट एवं सुसंगत रूप से कहा है कि दिनांक 12.08.2018 को अभियुक्त उसके मायके आया तथा बातचीत के दौरान उसे थप्पड़ मारा जिससे उसका चश्मा टूट गया। इस तथ्य का समर्थन पीडब्ल्यू–2 जिनेन्द्र कुमार तथा पीडब्ल्यू–3 ज्योत्सना जैन ने भी किया है। इन दोनों साक्षियों ने घटना के तत्काल बाद वादिनी को रोते हुए तथा चश्मा टूटा हुआ देखा तथा अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने की पुष्टि की है। यद्यपि अभियोजन द्वारा चोट का चिकित्सीय परीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथापि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक साधारण मारपीट के मामले में चिकित्सीय साक्ष्य अनिवार्य नहीं होता। यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य विश्वसनीय, स्वाभाविक तथा परस्पर संगत हो तो उसके आधार पर भी धारा 323 IPC का अपराध सिद्ध किया जा सकता है। वर्तमान वाद में पीडब्ल्यू–1 का इस बिंदु पर कथन स्वाभाविक एवं विश्वास योग्य प्रतीत होता है तथा पीडब्ल्यू–2 एवं पीडब्ल्यू–3 द्वारा उसका पर्याप्त समर्थन किया गया है। बचाव पक्ष इस भाग को प्रभावी ढंग से खंडित नहीं कर सका।

35– बचाव पक्ष के साक्षी यह अवश्य कहते हैं कि दहेज की कोई मांग नहीं हुई थी, किन्तु वे दिनांक 12.08.2018 की घटना के संबंध में ऐसा कोई प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे पीडब्ल्यू–1 के मारपीट संबंधी कथन का पूर्ण खंडन हो सके। अतः इस बिंदु पर अभियोजन का साक्ष्य अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है।

36– फलतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्त संदीप जैन द्वारा दिनांक 12.08.2018 को वादिनी के साथ स्वेच्छया मारपीट किये जाने का तथ्य संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। **अतः अभियुक्त संदीप जैन धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध का दोषी है।**

37– परिणामस्वरूप अभियुक्त **संदीप जैन** को धारा **323 भारतीय दण्ड संहिता** के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

38– अभियोजन धारा **498 ए, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त संदीप जैन उक्त धाराओं से **संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त** किया जाता है।

<u>दण्डादेश</u>

अभियुक्त संदीप जैन को दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया कि वह प्रथम अपराधी है, उसके विरुद्ध पूर्व में किसी आपराधिक दोषसिद्धि का कोई अभिलेख न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं है। यह भी निवेदन किया गया कि घटना वर्ष 2018 की है तथा अभियुक्त लगभग आठ वर्ष से विचारण का सामना कर रहा है। अतः उसे कम से कम सजा प्रदान किया जाए।

अभियोजन की ओर से अभियुक्त को कठोर दण्ड दिए जाने का अनुरोध किया गया।

अतः अभियुक्त संदीप जैन को मु०अ०सं० 19/2018, को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए उसे मु० 1,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण के अंतर्गत धारा 498ए, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त धारा–437ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन सुनिश्चित करें। अभियुक्तगण स्व–बन्धपत्र मु0–20,000/–रूपये व समान राशि के दो प्रतिभू इस आशय के दाखिल करें कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध परिवादी द्वारा कोई अपील की जाती है, तो वे अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगें।

(जागृति केसरवानी)

<u>दिनांक–11.08.2026</u> **सिविल जज(जू0 डि0)/**

एफ.टी.सी(क्राइम अगेंस्ट वुमेन), एटा।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जागृति केसरवानी)

<u>दिनांक–11.08.2026</u> **सिविल जज(जू0 डि0)/**

एफ.टी.सी(क्राइम अगेंस्ट वुमेन), एटा।